न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 16/2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. अनाराम पुत्र गणेशराम जाति माली निवासी बेरा नवोड़ा, निम्बाज, तहसील जैतारण		1. भीखाराम पुत्र गणेशराम 2. गेन्दुडी पत्नी गणेशराम जाति माली निवासी बेरा नवोड़ा, निम्बाज तहसील जैतारण 3. उप पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 24.12.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 220/2012 अनाराम बनाम भीखाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जो पुश्तैनी एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि है। रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा थे, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य, शहादत तलब किए बिना ही मात्र सह खातेदार को स्थाई व्यादेश से पाबन्द नहीं किया जाना अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वे प्रकरण का गुणावगुण पर साक्ष्य,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते, जो नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी पक्षकारान् की सह खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा आता है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि वे बिना बंटवाडा करवाए भूमि का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें, जो पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने बाबत निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 1995 (राज.) पेज 38, आर0बी0जे0 1997 पेज 249, आर0आर0टी0 2007 (3) पेज 1125, आर0आर0डी0 1997 पेज 470, आर0आर0डी0 1979 पेज 621 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी भूमि है, जिसमें रेकर्ड के मुताबिक विवादित आराजी में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्सा निहित है। अपीलाण्ट द्वारा सह–खातेदार को भूमि के विक्रय से रोकने हेतु स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा है, उक्त बिन्दु कानूनी है, जिसका विधिक परीक्षण आवश्यक है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर श्रृंखलाबद्ध निर्णय पारित किए है, जिनमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एक सह खातेदार को उसके हिस्से की भूमि के बेचान से रोका जाना न्यायोचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0एन0जे0 1995 (राज.) पेज 38 में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "Rajasthan Teanacy Act, 1955 - Section 41 - Can a co-sharer on co-tanant transfar his interest without consent and without getting his share partitioned ? The interest in the agricultural land is common but the interest in each share is individual- No question will arise for obtaining permission for the transfar of the share - Nor it is a condition precedent to get the division of the holding- The buyer will stap in the shoes of the saller co-sharer- In case of joint reading of sections 41 and 42(a) clearly leads that a co-sharer can transfar his entire interest in a survey number." हालांकि सह खातेदार को भूमि के विशिष्ठ भू–भाग के बेचान हस्तान्तरण से रोका जा सकता है, क्योंकि सह खातेदारी भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर समस्त सह–खातेदारान् का कब्जा माना गया है, किन्तु सह खातेदार को उसके हिस्से की भूमि के बेचान हस्तान्तरण से रोका जाना विधि सम्मत नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह विधि सम्मत होने के कारण उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 220/2012 अनाराम बनाम भीखाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

27.01.2014 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली